



# कार्यालय नगर निगम, अजमेर

--: पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राज.) ::--

क्रमांक : आर.ओ.(ओ.आर.)/93

दिनांक : 08/05/17

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि (01.06.2017 से 31.03.2018) तक के लिए निम्न पार्किंग स्थल का ठेका निम्नांकित दिनांक को आयोजित है जिसमें समय प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक अमानत राशि जमा की जावेगी तथा दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजे तक खुली नीलामी बोली लगाई जावेगी :-

क्र. सं.	पार्किंग स्थल का नाम	अमानत राशि	सरकारी बोली	नीलामी दिनांक
1	मार्टिण्डल ब्रिज के नीचे, ब्यावर रोड, अजमेर	12400	248000	16.05.2017

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दिनांक व समय पर नगर निगम की अन्यकर शाखा में उपस्थित होकर अमानत राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं। शर्तें व अन्य की जानकारी हेतु निगम कार्यालय दिवस व समय पर उपस्थित होकर राजस्व अन्यकर शाखा से एवं निगम की वेबसाईट [www.Ajmermc.org](http://www.Ajmermc.org) पर एवं State public Procurement Portal पर भी सूचना उपलब्ध है।

प्रमुख शर्तें :-

- बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि एकमुश्त निगम कोष में जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- केन्द्रीय व राज्य सरकार का कर, सेवाकर नियमानुसार जो भी हो ठेकेदार को ही जमा कराना होगा।
- विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
- बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।
- बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
- नीलामी शर्तों में परिवर्तन/ संशोधन करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम अजमेर में निहित रहेंगे।
- बोलीदाता को बोली पूरे वित्तीय वर्ष के लिये लगानी होगी जिसकी गणना कर शेष वित्तीय वर्ष की अवधि की राशि जमा करानी होगी।
- N:B CODE :-  
UBN IS :-

(रेखा जैस्वानी)  
राजस्व अधिकारी (अन्यकर)  
नगर निगम अजमेर

(गजेन्द्र सिंह रलावता)  
उपायुक्त (विकास)  
नगर निगम, अजमेर

NIB CODE - DLB1718A0718

UBN → DLB1718SS01302568



## कार्यालय नगर निगम, अजमेर

मार्टिण्डल ब्रिज के नीचे ब्यावर रोड अजमेर पर पार्किंग स्थल की वित्तीय वर्ष 2017-2018 (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) तक की अवधि के लिए नीलामी शर्तें :-

( 1 ) पार्किंग स्थल की नीलामी का विवरण

पार्किंग स्थल का नाम	:- मार्टिण्डल ब्रिज के नीचे, ब्यावर रोड, अजमेर
पार्किंग ठेका अवधि	:- वित्तीय वर्ष 2017-18 (01.04.2017 से 31.03.2018 तक)
सरकारी बोली	:- 2,48,000
नीलामी की अमानत राशि	:- 12,400
नीलामी की दिनांक	:- 14.02.2017

( 2 ) ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निम्न सूचना का बोर्ड लगाना होगा।

- ( I ) वसूल की जाने वाली दरों का विवरण।
- ( II ) ठेकेदार का नाम व पता मय मोबाईल नम्बर
- ( III ) ठेकेदार के प्रतिनिधी का नाम
- ( IV ) पार्किंग पर बड़े वाहन बस/ट्रक/आदि खड़े नहीं करने की सूचना।
- ( V ) पार्किंग स्थल पर राजकीय वाहन निगम कर्मचारी/पार्षद आदि के वाहन निःशुल्क खड़े किये जायेंगे।

1. पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था, पानी, लाईट, स्टेशनरी की व्यवस्था एवं वाहनों की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि जमा करानी होगी।
2. पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। 4X4 फुट का छायादार अस्थाई निर्माण किया जा सकता है।
3. प्रशासनिक कार्य हेतु इस स्थान की आवश्यकता होने पर उक्त स्थान पर पार्किंग नहीं की जा सकेगी। बिना कोई कारण बताये हुये उक्त ठेका निरस्त किया जा सकेगा। शेष अवधि की राशि बकाया दिनों के अनुपात में नियमानुसार लौटाई जायेगी। वाहनों की पार्किंग शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी जो 4 (चार) घंटों के लिए मान्य होगी। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा टोकन दिया जायेगा टोकन पर ठेकेदार को पूर्ण पता व टेलीफोन नं० अंकित करना होगा :-  
(अ) कार/जीप 20/- रुपये (दो घंटे तक 10 रुपये ही शुल्क वसूल कर सकेगा।)  
(ब) स्कुटर/मोटर साइकिल 5/- रुपये  
(स) साइकिल 2/- रुपये
4. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि एकमुश्त बोली स्वीकृत होते ही जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जप्त कर ली जायेगी। राशि जमा नहीं कराने की दशा में ब्लेक लिस्टेड व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
5. पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी होगी जिसे की यातायात में व्यवधान न हो।
6. बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/ आयुक्त नगर निगम अजमेर को होगा।
7. पार्किंग स्थल पर खड़ी गाडी के खोने/गुमने/चोरी होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
8. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
9. उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।
10. सफलतम् ठेकेदार को 10/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आशय का देना होगा की नगर निगम अधिकारी /कर्मचारी /पार्षद से मेरा कोई रक्त संबंध नहीं है।
11. पार्किंग स्थल पर पूर्व में ही निर्मित किसी संरचना को नुकसान पहुंचाएं जाने पर हानि का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता की अमानत राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक जमा रहेगी जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार लौटाई जायेगी।
13. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
14. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
15. ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही शुल्क वसूली कर सकेगा अन्यथा वसूली हेतु अधिकृत नहीं होगा।
16. पूर्व वित्तीय वर्षों में किये गये पार्किंग ठेकों की किसी भी ठेकेदार की बकाया राशि होने पर उसे आगामी वित्तीय वर्ष के ठेके में भाग नहीं ले सकेगा। सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही ठेके में भाग ले सकेगा।
17. पार्किंग ठेका निम्नलिखित स्थिति में निरस्त किया जा सकेगा:-  
(1) निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर।  
(2) सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा नहीं कराने पर।  
(3) व्यवसायिक गतिविधिया टैले, केबिन आदि लगाने पर।
18. उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन/ संशोधन करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम अजमेर में निहित रहेंगे।
19. ठेकेदार का पूर्व वर्षों का कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति उपरान्त निगम आगामी वित्तीय वर्ष में निम्नतम 10 प्रतिशत एवं अधिकतम जो भी निगम प्रशासन प्रशासनिक निर्णय कर ठेका अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)  
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त  
नगर निगम अजमेर

आयुक्त  
नगर निगम अजमेर